प्रश्न सं. [क्र. 517]

परिशिष्ठ– ''अ''

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 517 – माननीय विधायक श्रीइंजीनियर प्रदीप लारिया

1. म.प्र. जनभागीदारीयोजनान्तर्गत वित्त विभाग म.प्र. शासन की अधिसूचना 2000 के पैरा कमांक– 7 में निर्देश दिये गये है कि मुख्यत ग्राम पचायतों/नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं से सम्बन्धित योजनायें ली जायेगी। अथवा ऐसी योजनाऐं जो ग्रामवासियों के लिये जनोपयोगी है। ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये, जिनमें गरीब तबके/अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ हो। सम्मिलित की जावे।

2– म.प्र शासन, योजना आर्थिक एव सांख्यिकी विभाग भोपाल का पत्र क0 68/316/07/23/योआसा/भोपाल, दिनाक 11.01.2008 द्वारा जनभागीदारी नियम 2000 में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत में अगर अजा./अजजा. वार्ड है और वहॉ मतदाताओ की सख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तो वहॉ पर 75 प्रतिशत शासन अंशदान राशि की स्वीकृत दी जा सकती है।

संयुक्त संचालक
संभागीय योजना एव सांख्यिकी
सागर